

(प्रपत्र-36)

कार्य का नाम :- जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपुर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सड़क का निर्माण।

(लम्बाई- 0.435 किमी)

मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह पूर्व की भाँति रक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
 2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
 3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अतः उसके किसी भी भाग को किसी भी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
 4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
 5. हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगे और ऐसा किये जाने पर संबंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
 6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस संबंध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
 7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
 8. बहुमूल्य वन सम्पदा से अच्छान्दित वन एवं जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्बव प्रस्तावित न किया जाय, केवल अपारिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
 9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
 10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित करने पर वन भूमि रखत: बिना किसी प्रकार के संरक्षा या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि रखत: बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापिस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न करने पर भी हस्तान्तरित भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन आदि रखत: बिना किसी प्रकार का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।
 11. सड़क निर्माण में प्ररतावों पर "एलाइमेंट" तथा समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नी0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता लो0नी0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौँडी को सम्बोधत पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10.12.1982 में निहित आदेशों का पालन भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा, कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
 12. वन भूमि मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सूची सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
 13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ0प्र0 वन नियम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उद्यित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
 14. हस्तान्तरित भूमि में पहुंचे वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मी0 एवं 30° से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज (वप) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
 15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा, या खन्नों को ऊँचा करके इससे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
 16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करियेगा।
 17. लिखित मानक घर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य घर्तों लायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
 18. वन भूमि का वार्ताविक हस्तान्तरण तभी किया जाय जब उक्त घर्तों का पूर्ण पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।
- प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0, लो0नी0वि0 सहिया

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नी0वि0 सहिया
अर्थात् (प्रदर्शन)

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लो0नी0वि0 सहिया
अधिशासी अभियन्ता
अर्थात् राष्ट्र नो0नी0वि0